Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 9 ~ Issue 5 (2021)pp: 47-53
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

" अनुच्छेद–370 का निरसन तथा जम्मू एंव कश्मीर की स्थिति "

शोधार्थिनी
रूबी

पर्यवेक्षक
अन्जू शर्मा (असिस्टेन्ट प्रोफेसर)

समाज शास्त्र एंव राजनीति विज्ञान विभाग
समाज शास्त्र संकाय
दयाल बाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट
(डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयाल बाग,आगरा

सार :– 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक पहल की गयी जिसके तहत भारत के सर्वाधिक विवादित राज्य जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया तथा राज्य को जम्मू एंव कश्मीर और लद्दाख दो केन्द्रशासित राज्यो में विभाजित करने का निर्णय भी लिया गया। अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के कारण इसके तहत आने वाला अनुच्छेद 35(ए) भी स्वयं समाप्त हो गया। इस नये कानून को अखण्ड भारत के निर्माता तथा स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृहमंत्री (सरदार बल्लभ भाई पटेल) की जयंती 31 अक्टूबर पर प्रभावी किया गया । जम्मू एंव कश्मीर राज्य न रहकर अन्य केन्द्रशासित प्रदेश बना दिया गया है। इस प्रकार भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 तथा केन्द्रशासित प्रदेश 7 से बढ़कर 9 हो गयी है। एक बार भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा था कि एक समय आयेगा जब अनुच्छेद 370 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय बीतने के साथ स्वय अनुच्छेद 370 को अप्रचलित किया जायेगा जम्मू एंव कश्मीर में केन्द्र की भूमिका और दायरे को बढ़ाने हेतु अब तक 50 राष्ट्रपति आदेशो के उपरान्त अनुच्छेद 370 में अब कुछ नही रह गया था, इसके विपरीत यह एक चट्टान बन गया था जिसके कारण जम्मू एंव कश्मीर के लोग भारत से अलग थलग हो गये थें। अतः 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंव कश्मीर पुर्नगठन विधेयक के लागू हो जाने के उपरान्त यह चट्टान पूर्णत समाप्त हो गई ।

मुख्य बिन्दु :– जम्मू एंव कश्मीर, अनुच्छेद 370, भारत, पाकिस्तान, निरसन

Received 26 April, 2021; Revised: 08 May, 2021; Accepted 10 May, 2021 © The author(s) 2021. Published with open access at www.questjournals.org

प्रस्तावना–: 05 अगस्त 2019 को भारत द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन कर जम्मू कश्मीर को प्राप्त अस्थाई विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ–साथ भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन कर उसे दो केन्द्रशासित प्रदेशो में बॉट दिया गया है। जिसमें प्रथम जम्मू एंव कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश है तथा दूसरा लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश है। इसके साथ 1954 में संविधान में शामिल किये गये अनुच्छेद 35 (ए) को भी समाप्त किया गया है, इस अनुच्छेद के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के स्थायी निवासियो को ही राज्य में स्थायी सम्पति अर्जित करने, नौकरी प्राप्त करने अथवा सरकारी वजीफा प्राप्त अधिकार दिया गया था। यह अधिकार राज्य में शेष भारत के नागरिको को प्राप्त नही थे।

जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में यह परिवर्तन ऐतिहासिक है, लम्बे समय से केन्द्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य में विभिन्न चुनौतियो का सामना कर रही थी, इसके उपरान्त भी इस बदलाव को करने के लिए इच्छा शक्ति नही जुटा पा रही थी क्योकि इसकी राजनैतिक प्रतिक्रिया राज्य मे तथा पाकिस्तान में अनूकुलित प्रतीत नही होती थी।

इस परिवर्तन के दो अधिगामी परिणाम परिलक्षित होते है

1. सन् 1990 के उपरान्त से ही कश्मीर घाटी में पाकिस्तान के सहयोग से आतंकवाद के विस्तार के साथ–साथ भारत विरोधी वातावरण बनाया जा रहा था गत तीन दशको में आतंकवाद के चलते हजारो लोगो की जाने जा चुकी है। यह भारत के सुरक्षा के लिये भी एक चुनौती है इन नये बदलावो के बाद अब भारत को आतंकवाद रोकने

तथा घाटी में सुरक्षा मजबूत करने में सहायता मिलेगी। नवघटित केन्द्रशासित प्रदेश में दिल्ली की भॉति विधानसभा होगी और वहॉ की कानून व्यवस्था पर भारत सरकार का सीधा नियन्त्रण होगा।

2. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त होने कारण वहॉ भारत से अलगाबबाद की भावना अत्यधिक तीव्र होती जा रही थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस तथा जमात–ए–इस्लामी नामक संगठनो द्वारा भारत विरोधी असंतोष को बढ़ावा दिया जा रहा था यह अलगाबबादी भावना युवाओ में इस्लामिक कट्टरवाद का बढ़ावा दे रही थी पाकिस्तान के सहयोग से इन अलगाबबादियो को यह उम्मीद थी वे भारत से अलग हो सकते है तथा यहॉ की चुनौतियो से परेशान होकर भारत स्वय कश्मीर को अलग करने के लिए विवश हो जायेगा। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के उपरान्त अलगावबादियो तथा पाकिस्तान दोनो को भारत में यह स्पष्ट सन्देश दिया है कि जम्मू एंव कश्मीर भारत के अभिन्न अंग है तथा भारत इसमें कोई समझौता नही करेगा।
इस प्रकार नया सवैधांनिक परिवर्तन जम्मू कश्मीर राज्य को भी भारत के साथ एकीकृत करने में सहायक सिद्व होगा।

इतिहासः–1947 में ब्रिटिश भारत को स्वतन्त्रता मिलने से पहले और इस क्षेत्र के भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व में विभाजित होने से पहले जम्मू और कश्मीर राज्य 565 रियासतो में से एक था। भारतीय स्वतन्त्रता एक्ट 1947 के अनुसार तमाम रियासतों को यह चयन करने की सुविधा दी गई थी कि वे भारत के साथ विलय हो सकते है या फिर पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहते है उस समय जम्मू कश्मीर देश की सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी इस रियासत पर महाराजा हरी सिंह शासन करते थे। इसके अलावा वह भारत और नवजन्म पाकिस्तान दोनो की सीमा पर एक मात्र रियासत थी, जिसने दोनो देशों में प्रवेश की संभावना को जन्म दिया। दो राष्ट्रो के पहले से ही तनावपूर्ण जन्म को और जटिल बनाते हुये महाराजा हरी सिंह ने एक स्वतन्त्र कश्मीर की खुली चर्चा की, जो केवल राज्य के परिग्रहण के प्रश्न को भ्रमित करने और विलंबित करने का कार्य करती थी।

महाराजा हरी सिंह से तिरस्कृत होने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर को हथियाने का दूसरा रास्ता अपनाया। उसने पाकिस्तानी सेना को पश्तून कबायलियों के वेश में जम्मू– कश्मीर पर कब्जा करने को भेजा। इन आक्रमणकारियों को कश्मीर में रह रहे कुछ स्थानीय मुस्लिमों का भी सहयोग प्राप्त था। पूरी जम्मू कश्मीर सल्तनत में हाहाकार मच गया। यही से सर्वप्रथम भारत–पाक युद्व की रूपरेखा बनने लगी।इन सबसे परेशान महाराजा हरी सिंह ने भारत से मदद मांगी।
26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरीसिंह ने भारत के साथ समझौता किया उन्होने दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक सहमति दी। शर्त यह थी भारत अपनी सेना भेजकर आक्रमणकारियों को जम्मू कश्मीर से बाहर कर दे। भारतीय सेना द्वारा आक्रमणकारियों को बाहर करना शुरू किया गया। और वही भारत ने 01 जनवरी 1948 को सयुक्तं राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के सामने कश्मीर विवाद का मुद्दा रखा सयुक्त राष्ट्र परिषद् द्वारा 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव पारित किया गया इसके तहत दोनो देशो को सघर्ष विराम के लिए कहा गया साथ ही पाकिस्तान से कहा की वह जम्मू कश्मीर से शीघ्र ही पीछे हट जाये।
जब भारतीय सेना जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई तब कश्मीरी नेता शेख अब्दुला ने जम्मू मुद्दे पर जनमत सग्रंह कराने का समर्थन किया था। सयुंक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् द्वारा युद्व विराम संन्धि की अलग व्याखा होने से भारत–पाक सतुंष्ट नही थे। बरहाल नबम्वर 1948 में दोनों देश जनमत सग्रंह को राजी हुये बाद में भारत में इससे इनकार कर दिया और कहॉ कि पाकिस्तान पहले अपनी सेनाये कश्मीर से हटाये।किन्तु ना तो जनमत सग्रंह हो सका और न ही पाकिस्तानी सेना वहॉ से पीछे हटी परिणाम स्वरूप यह मुद्दा आज तक दोनो देशो के मध्य कटुता का विषय बना हुआ है।

अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष राज्य का दर्जा

सन् 1949 को भारतीय संविधान सभा नें अनुच्छेद 370 को अस्थायी प्रावधान के रूप में अपनाया। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों से अलग विशेष राज्य का दर्जा दिया गया 1951 में राज्य को संविधान सभा अलग से बुलाने की अनुमति दी गई । नबम्बर 1956 में राज्य के संविधान का कार्य पूरा हुआ और 26 जनवरी 1957 को राज्य में विशेष संविधान लागू कर दिया गया।

*Corresponding Author: अन्जू शर्मा

अनुच्छेद 370 के साथ जम्मू कश्मीर को प्राप्त थे ये विशेष अधिकार (31 अक्टूबर 2019 से पूर्व की स्थिति)

- भारतीय संविधान के प्रावधान स्वतः जम्मू एंव कश्मीर में लागू नही होते है।
- जम्मू एंव कश्मीर का अपना पृथक संविधान है जिसे जम्मू एंव कश्मीर संविधान सभा द्वारा तैयार एंव अंगीकृत किया गया है।
- जम्मू एंव कश्मीर के मूल निविसियो को वहॉ की नागरिकता प्राप्त है।
- जम्मू एंव कश्मीर के नागरिक ही राज्य में भूमि एंव सम्पत्ति क्रय कर सकते है, राज्य की संविधिक संस्थायों का चुनाव लड़ सकते है तथा राज्य की सरकारी सेवाओ में नौकरी प्राप्त कर सकते है।
- भारतीय संसद जम्मू एंव कश्मीर राज्य से सम्बंधित ऐसा कोई कानून नही बना सकती, जो उसकी राज्य सूची का विषय है।
- कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियॉ भारतीय संसद में निहित न होकर जम्मू कश्मीर की विधायिका में निहित है।
- जम्मू कश्मीर राज्य में सशक्त में भी आपातकाल लागू नही किया जा सकता है।
- राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के बिना भारतीय संसद जम्मू एंव कश्मीर राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में बदलाव नही कर सकती है।
- जम्मू एंव कश्मीर में राज्यपाल की नियुक्ति उस राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है।
- जम्मू एंव कश्मीर राज्य की अपनी दण्डसंहिता एंव दण्ड प्रकिया सहिंता है।
- आरंम्भिक रूप में जम्मू एंव कश्मीर में विधायी तंत्र के असफल हो जाने पर राज्य के संविधान के अनुच्छेद 92 के तहत राज्य के राज्यपाल का शासन लगाया जाता है। 06 माह तक राज्यपाल शासन के बाद भी लोकप्रिय सरकार गठित न होने पर या विधानसभा के चुनाव न हो पाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
- संसद द्वारा पारित केवल वही कानून जम्मू एंव कश्मीर में लागू हो पाते है जिन्हे जम्मू एंव कश्मीर का विधान मंडल अंगीकृत कर लेता है।
- जम्मू एंव कश्मीर राज्य का पृथक ध्वज, गान व चिन्ह आदि है।
  अर्थात् जम्मू एंव कश्मीर राज्य को भारत के अन्य राज्यों की तुलना अधिक स्वयतता तथा शक्तियॉ प्रदान कि गयी थी। वही केन्द्र का भी जम्मू एंव कश्मीर राज्य पर अधिकार क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में सीमित था।

❖ 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात् जम्मू एंव कश्मीर की स्थिति अर्थात् जम्मू एंव कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान :–

संसद द्वारा जम्मू कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 के पारित हो जाने के उपरान्त जम्मू एंव कश्मीर राज्य को दो केन्द्रशासित क्षेत्रों में (1) जम्मू एंव कश्मीर (2) लद्धाख में विभाजित कर दिया गया है इसके साथ ही जम्मू एंव कश्मीर राज्य की भौगोलिक एंव राजनीतिक स्थिति में बदलाव आया है।

- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर में पूर्ववर्ती राज्य के कुपवाड़ा, वारामूला, श्रीनगर, वड़गाम, पुलवामा, अनन्तनाग, डोडा, ऊधमपुर, कठुआ, जम्मू, राजौरी, पुछ,जनपदो को शामिल किया गया है।
- केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख में पूर्ववर्ती राज्य के दो जिलो कारगिल एंव लेह को शामिल किया गया है।
- लोकसभा की 1 सीट केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख को तथा 5 सीटें बारामूला, श्रीनगर, ऊधमपुर, अनन्तनाग तथा जम्मू एंव कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र की होगी।
- पूर्ववर्ती राज्य से राज्य सभा के लिए चार सदस्य निर्वाचित होते थे पुर्नगठन के पश्चात् केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर की विधानसभा राज्य सभा के लिये 4 सदस्यों का चुनाव करेगी।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर में अब एक विधानसभा भी होगी जिसमें कुल 107 सीटे होगी जो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी जायेगी,इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत जम्मू एंव कश्मीर क्षेत्र के लिए रिक्त रहेगी।शेष 83 सीटो में अनुसूचित जातियों एंव अनुसूचित जनजातियों के लिए उस अनुपात में आरक्षित की जाऐगी जिस अनुपात में जम्मू एंव कश्मीर की केन्द्रशासित क्षेत्र में इन जातियों की जनसंख्या है ।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 327 एंव 329 के प्रावधान जम्मू एंव कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों पर लागू होगे।
- 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका भारत का कोई भी नागरिक अन्य अर्हताए पूरी करने के पश्चात् विधानसभा के लिए चुनाव लड़ सकेगा उसके लिए जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होने की शर्त नये कानून के तहत नही है।
- केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एंव कश्मीर के उप–राज्यपाल विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या न होने पर दो महिलायों को नामित कर सकेगें।
- जम्मू एंव कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।
- विधानसभा के प्रत्येक सदस्य एंव केन्द्रशासित क्षेत्र के एडवोकेट जनरल को विधानसभा तथा इसकी समितियों की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा एडवोकेट जनरल को सदन में मत विभाजन में मत देंने का अधिकार नही होगा।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटो के लिए निर्वाचन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाएगा।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर की विधानसभा के सभी सदस्यो पर दल–बदल कानून लागू होगा।
- विधानसभा संविधान की सांतवी अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्ट संख्या –1 (पब्लिक आर्डर एंव संख्या) –2 (पुलिस) को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकेगी परन्तु इस शक्ति द्वारा संसद को केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे पर कानून बनाने से नही रोका जा सकेगा। विधानसभा द्वारा पारित किसी भी कानून एंव संसद द्वारा पारित किसी कानून में कोई टकराव होता है तो संसद द्वारा पारित कानून ही मान्य होगा कानून बनाने की यह शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 ए (ए) के अनुरूप प्रदान की गयी है परन्तु वर्तमान में दिल्ली विधनसभा को 'सम्बधी मसलों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त नही है जबकि जम्मू एंव कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र की विधान सभा को भूमि सम्बन्धी मसलो पर भी कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है
- विधानसभा कानून बनाकर जम्मू एंव कश्मीर केन्द्रशासित क्षेत्र में बोली जाने वाली किसी एक या एक से अधिक भाषाओं या हिन्दी को राज्य की आधिकारिक भाषा तथा कामकाज की भाषा घोषित कर सकेगी विधानसभा की कार्यवाही क्षेत्र की आधिकारिक भाषा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में सचांलित होगी।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर की विधानसभा में पेश किए जाने वाले सभी विधेयक संशोधन पारित किए गए अधिनियम आदेश नियम विनियम परिलियम अंग्रेजी भाषा से होगे परन्तु जहॉ कोई प्रस्ताव या विधेयक हिन्दी या राज्य की अधिकारिक भाषा में पेश किए जाने की अनुमति दी जायेगी वहॉ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी सदन के पटल पर रखा जाएगा।
- केन्द्रशासित प्रदेश का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उप–राज्यपाल द्वारा चलाया जाएगा जो मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कार्य करेगा।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर की एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसकी कुल संख्या विधानसभा की कुल सीटो के 10 प्रतिशत से अधिक नही होगी।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप–राज्यपाल द्वारा तथा मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर उप–राज्यपाल द्वारा की जायेगी। मन्त्री, उप–राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर कार्य करते रहेगें। मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
- केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेंद–239 के प्रावधानो के तहत केन्द्रशासित क्षेत्र के प्रावधानों के तहत नियुक्त उप–राज्यपाल के माध्यम से चलाया जाएगा।
- भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद –240 के प्रावधानों के तहत केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख की शक्ति प्रगति तथा सुशासन हेतु विनियम बना सकेगें।
- केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख का प्रशासन उप–राज्यपाल केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त परामर्शदाताओं की सहायता से चलाएगा।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर की अपनी संचित विधि, आकस्मिक निधि एंव लोक खाता होगा।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर में निर्वाचित सरकार की असफलता संवैधानिक मशीनरी के असफल हो जाने, प्रशासनिक व्यवस्था असफल हो जाने पर यदि उपराज्यपाल की ओर से ऐसी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाये तो राष्ट्रपति जम्मू एंव कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 के सभी या किसी भी या कुछ प्रावधानों को,उस अवधि तक जिसे उचित समझा जाये, निंलबित रख सकेगे।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर तथा केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख का सामूहिक उच्च न्यायलय होगां।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस), भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस) तथा भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस) के अधिकारी जम्मू एंव कश्मीर राज्य की भॅाति केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर के अधिकारी होगे। केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख में ऐसे अधिकारियों का आवंटन इन क्षेत्रों के उप–राज्यपालों की सिफारिश पर केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
- भविष्य में केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख एंव केन्द्रशासित राज्य जम्मू एंव कश्मीर राज्य का लोक सेवा आयोग केन्द्रशासित राज्य जम्मू एंव कश्मीर के लोक सेवा आयोग के रूप में कार्य करेगा।
- राष्ट्रपति के आदेश से संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख की सेवाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

- जम्मू एंव कश्मीर की बार कांउसिल अब जम्मू एंव कश्मीर तथा लद्दाख की बार कांउसिल के नाम से जानी जाएगी, जम्मू एंव कश्मीर की बार कांउसिल के सदस्य जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की बार कांउसिल के सदस्य होगे।
- केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर के लिए एक एडवोकेट जनरल होगा जिसकी नियुक्ति उप–राज्यपाल द्वारा की जायेगी। परन्तु वही केन्द्रशासित क्षेत्र लद्दाख में एडवोकेट जनरल का पद नही होगा।

अतः इस प्रकार जम्मू एंव कश्मीर क्षेत्र में पहले से लागू 164 अधिनियमों का निरसन कर दिया गया है, अर्थात् वे अब केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एंव कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में लागू नही होगे वही 108 केन्द्रीय कानून जो अब तक जम्मू एंव कश्मीर में लागू नही होते थे, अब केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू एंव कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में भी लागू होगे, इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय दण्डसहिंता (1860) सिविल प्रकिया संहिता (1908) दण्ड प्रकिया सहिंता (1977) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) भारतीय संविदा अधिनियम(1872) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (1980) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951) तथा अन्य अनेक वैयाक्तिक कानून अब समान रूप से केन्द्रशासित क्षेत्र जम्मू एंव कश्मीर तथा केन्द्रशासित प्रदेश लद्दाख में लागू होगें।

जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के उपरान्त पाकिस्तान की प्रतिकिया :–

कश्मीर विवाद स्वतन्त्रता प्राप्ति से वर्तमान तक प्रमुख समस्या के रूप में भारत–पाकिस्तान संम्बन्धो को प्रभावित करता है। वही जब भारत सरकार द्वारा अनुच्छेंद 370 में संशोधन तथा 35(ए) की समाप्ति के उपरान्त पाकिस्तान द्वारा असन्तुलित प्रकिया हुई है जिसमें पाकिस्तान द्वारा भारत पर यह आरोप लगाया है कि यह 1949 के सयुंक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव जिसमें जम्मू एंव कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई थी,का उल्लंघन है और साथ ही यह जम्मू एंव कश्मीर के नागरिकों के मानवधिकारों का हनन भी है।

अनुच्छेद 370 एंव 35(ए) के निरसन के उपरान्त पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्व उठाए गए कदमः–

1 .पाकिस्तान द्वारा अगस्त 2019 में ही कश्मीर समस्या पर विचार करने हेतु संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् में बैठक बुलाने की मांग की थी बाद में चीन के समर्थन से दिनांक 16 अगस्त 2019 को सुरक्षा परिषद् की अनौपचारिक क्लोज डोर बैठक बुलाई गई जिसमें चीन के अतिरिक्त किसी अन्य देश ने पाकिस्तान के पक्ष का समर्थन नही किया। सुरक्षा परिषद् के अधिकांश सदस्यों का मत था कि कश्मीर का मामला दोनों देशो के मध्य का द्विपक्षीय मामला है तथा इसको दोनों देशों द्वारा स्वंय निपटाना चाहिए।

2.पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किये जाने के उपरान्त भारत के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों का दर्जा कम कर दिया गया । इसके साथ ही पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर भी रोक लगा दी गयी।

3. पाकिस्तान द्वारा कश्मीर समस्या के सम्बन्ध में जनता के समक्ष उत्तेजक बयान दिये गये तथा पाकिस्तान द्वारा यह भी कहा गया कि भारत की कार्यवाही के कारण दोनों देशो के मध्य युद्व की सम्भावनाओं में बढ़ोत्तरी होगी।

4.इसके अतिरिक्त भी पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद् में भारत द्वारा कश्मीर में मानवाधिकारों के हनन का मामला उठाया गया।

पाकिस्तान द्वारा भारत के विरूद्व उठाए गए कदमों के विपरीत भारत की प्रतिकिया/भारत का पक्षः–

भारत द्वारा जम्मू एंव कश्मीर में पाकिस्तान के अनावश्यक विरोध को आधारहीन ठहराते हुए भारत द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में निम्न तर्क प्रस्तुत किये है–

1.भारत द्वारा कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में जो परिवर्तन किया गया है वह भारत का आन्तरिक मामला है तथा पाकिस्तान को चाहिए की वह कोई हस्तक्षेप न करे क्योंकि भारत द्वारा भारत व पाकिस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं में कोई परिवर्तन नही किया गया है, ये सीमाए वही है जो संवैधानिक परिवर्तन के पहले थी।

2. दूसरी ओर पाकिस्तान स्वयं अपने कब्जे वाले कश्मीर में कई बार परिवर्तन कर चुका है, सर्वप्रथम 1949 में कंराची समझौते के अन्तर्गत गिलगिल वाल्टिस्तान को अलग कर दिया गया था। इसके उपरान्त 1963 में पाक अधिकृत कश्मीर का 5000 वर्ग कि0मी0 भाग चीन को दे दिया गया। जिसमें वर्तमान में चीन द्वारा चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का निमार्ण कर रहा है।

3.वही मानवधिकारो के हनन की बात है तो कश्मीर में मानवाधिकारों का हनन नही किया जा रहा है कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए गए है। स्थिति जैसे ही पूर्णतः सामान्य होगी तब ये प्रतिबन्ध भी समाप्त कर दिये जायेगें और कश्मीर में पुनः लोकतन्त्र की प्रकिया बहाल भी की जायेगी।

4. भारत का कहना है कि पाकिस्तान द्वारा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर कश्मीर के प्रश्न को उठाना 1972 के शिमला समझौते का उल्लघंन है भारत व पाकिस्तान के मध्य सम्पन्न इस समझौते के अनुसार दोनो देशो द्वारा आपसी विवादों को द्विपक्षीय वार्तालाप के आधार पर निपटाने की सहमति व्यक्त की थी। इस सहमति को पुनः 1999 के लाहौर घोषणा पत्र में भी दोहराया गया था। अतः पाकिस्तान का आरोप आधारहीन तथा औचित्यहीन है।

निष्कर्ष :– अन्त में निष्कर्षात्मक रूप में कहा जा सकता है कि जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 में संशोधन एंव अनुच्छेद 35(ए) को समाप्त करने की मिश्रित प्रकिया हुई। जिसके उपरान्त लद्दाख को केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हुआ जिससे से वहा के लोग सतुष्ट है क्योकि वे लम्बे समय से इस प्रकार की मांग कर रहे थे परन्तु इसके विपरीत कश्मीर में अलगावादी इसका विरोध कर रहे है। राज्य के सभी प्रमुख स्थानीय नेता इसे लोकतन्त्र के विरूद्व तथा कश्मीर के अधिकारो का हनन कह रहे है। नागरिको की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा स्थानीय नेताओं को नजरबन्द कर लिया गया तथा अस्थायी तौर पर संचार सेवाएं बन्द कर दी गयी परन्तु वर्तमान में धीरे–धीरे संचार सेवाओ को खोला जा रहा है इसके साथ–साथ नागरिको को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार ने प्रशासनिक उपायों के माध्यम से स्थिति को अपने नियन्त्रण में किया है। वही दूसरी ओर पाकिस्तान को कश्मीर मामले पर विश्व समुदाय का कोई समर्थनन प्राप्त नही हो सको है इसके विपरीत संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब तथा बहरीन आदि मुस्लिम देशों ने कश्मीर पर भारत का समर्थन किया है, परन्तु पाकिस्तान इस मामले को निरन्तर बढ़ावा दे रहा है इसका कारण यह भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान वर्तमान में आतंकवाद का समर्थन करने के मामले में विश्व समुदाय द्वारा अलगाव का सामाना कर रहा है । फाइनेनशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को आतंकवादियों के वित्तीय स्त्रोतो पर रोक लगाने के लिए चेतावनी दी है अथवा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है यदि पाकिस्तान फाइनेनशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा दिए गए 27 बिन्दुओं को पूर्ण नही करता तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। इस स्थिति से बचने हेतु पाकिस्तान कश्मीर मामले को गम्भीर बताकर विश्व समुदाय की सहानुभूति अर्जित करने का प्रयास कर रहा है। वही भारत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है जिस पर पाकिस्तान को कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नही होनी चाहिए।

सन्दर्भ सूची :–

[1]. Bhansle R.(2008**): "**Kashmir**:** managing complexity in 2018, preview"(edited by Karim, Sinha, Katoch and Bansal in journal "Asian journal on terrorism and internal conflicts"),New Delhi:Thomson press, PP.25-36.

[2]. Bachanan K.(2019): "Article 370 and the Removal of Jammu and Kashmir's special status", U.S.(Global law: liberty of Congress.

[3]. Ganguly, Smentana, Abdullah & Kurmazin (2008): "India Pakistan and the Kashmir dispute : unpacking and dynamics of a south Asian frozen conflict", Jermany : Asian Europe Journal,PP.1-8.

[4]. Gupta S. , Ojha B.S. (2018): "Article-370 of the Indian Constitution A Study in specific referenceTo legal dimensions and implications",vol.4, issue no.3, 3 may,2018: page no.1-4 available at https://www.lawjournals.org.accessed on 01/09/2020.

[5]. Hoskote A.(2019): "Jammu & Kashmir & the politics of article 370 : seeking legality for the illegitimate",vol.3, issue no.1 : PP.813-835 , Jan,2017 available at https://www.researchgate.net/publication/317279843 accessed on 16/10/2019.

[6]. Jaiswal A. (2018): "Article 370",vol.2, issue no. 5, 5 July-Aug, 2018: PP.1011-1016, available at https://www.ijtsrd.com accessed on 04/01/2020.

[7]. Jauhari A.(2012): "India – Pakistan relations: International Implications"vol.9, issue no.1, 31Dec 2012,PP.42-51 available at https://DX.doi.org/10.5539/assv9n1p42 accessed on 25/06/2020.

[8]. Konstadt A. K. (2019): "Kashmir: back-ground, recent developments, and US. Policy ", congressional research service,PP.3-9.

[9]. Kuszewska A. (2016): "Defficult neighbourhood : the key objectives of Pakistan's foreign policytowards India in the 21st century", Jagiellonian university: Journal of international and political studies,PP.1-19.

[10]. Legislative department of India (9 Aug, 2019): "The Gazette of India: Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019", New Delhi: Ministry of India, PP.1-55.

[11]. Manners A. (2012): "Pakistan -India Relations : Rivals, New Beginnings ?", Australia's Global Interests : Future Directions International Pty.ltd.,PP.1-7.

[12]. Murali S. (2016): "The special status of Jammu and Kashmir (Article-370) a study",Hyderabad : symbiosis international university, PP.8-10.

[13]. Majid S. , Singh V. (2019): "In the Aftermath of Abrogation of Article 370" ,vol.7,issue no. 39,14sep2019:PP.1-4available at https://www.researchgate.net/publication/335826660 accessed on 23/01/2020.
[14]. Narayana R. G. (2019): "The constitution of India", The temporary provisions with respect to the state of Jammu and Kashmir, New Delhi,PP.221-213.
[15]. Nabee F. (2019): "Abrogation of Article-370 and perspective crackdown in Kashmir: A Human rights perspective", N D U: Center for strategic and contemporary research, PP.1-3.
[16]. Noorani G. A. (2019): "Article 370: A Constitutional history of Jammu and Kashmir", London: Oxford university,PP.93-95.
[17]. Panday A. (2019): "Jammu and Kashmir : Review of Developments post the Abrogation of Article 370 ", New Delhi : Vivekananda international Foundation,PP.1-30.
[18]. Panigrani D.N. (2010): "Jammu and Kashmir, the cold war and the west", New Delhi : Routledge, PP.1-30.
[19]. Schofield V. (2003): "Kashmir in conflict : India Pakistan and the undering war", NewYork : I B. Tavris ,PP.1-27.
[20]. Singh P. (2016): "Challenges and Strategy Rethinking India's foreign policy", New Delhi:SAGE, PP.16-38.
[21]. Singh V. (2001): " Kashmir: The 'Core Issue' between India and Pakistan",(edited by Shadevan P. In Book "Conflict and peace making in South Asia", New Delhi: Lancer's Books, PP. 215-235.
[22]. Sharma K. S. ,Hussan Y., Behuria A. (2019): " Pakistan Occupied Kashmir Politics, Partiesand Personalities", New Delhi: IDSA, PP.1-27.
[23]. Singh A. (2019): " Article 370: A Permanently Temporary provision", vol.6, issue no.1, Jan-March 2019 : PP.427-430 available at https://ijrar.com/ accessed on 23/01/2020.
[24]. Singh P. (2016): "Beyond Cartographic Assertion: A Roadmape on Pakistan OccupiedKashmir", New Delhi: IDSA,PP 1-3.
[25]. Sachedeva , Singh, Madan (2019): "One Contury One Flag , One Constitution : Special Status of the Jammu and Kashmir revoked ", International office of India: Countryreport,PP.1-4.
[26]. Singh M. (2019): " Article 35-A, 370 the supreme court of India and Jammu and Kashmir (with special reference to constitutional history), Chandigarh: Panjab & Hariyana high court ,PP.1-13.
[27]. Sharma p. (2019): "Article 35-A & it's Implications: A Quest of stability in Jammu & Kashmir", Routledge,PP.857-860.vol.6, issue no. 4, April 2019 : PP.469-475 available at https://www.researchgate.net/publication/332786796 accessed on 20/02/2020.
[28]. Tharoor S. (2013): "India and the world of 21st century : "Brother and Enemy", Pax India:Penguin Books, PP.27-82.
[29]. Wariko K. I. (2014): "The Other Kashmir, Security, Culture and politics in the Karakorum Himalayas",(edited by John W. In Book : "Pakistan occupied Kashmir: An Emerging Epicenter of Global Jihad "), New Delhi: Pentagon press,PP.307-322.
[30]. Wolpert S. (2011): "India Pakistan: Continued Conflict or Cooperation?", New Delhi:Routledge,PP.857-860.